

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

//आदेश //

क्रमांक ५९ / स्था.सेवा / 2014

भोपाल, दिनांक २२ अगस्त, 2014

अस्थिबाधित निःशक्तजनों की भर्ती हेतु आयोजित वॉक-इन-इंटरव्यू दिनांक 26.07.2014 में चयनित श्री भूपेन्द्र भण्डारी की नियुक्ति स्टेनोटायपिस्ट के पद पर वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रुपये, ग्रेड वेतन 1900 रुपये तथा शासन द्वारा देय भत्तों पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से (दो वर्ष की परीवीक्षा पर) जिला पंजीयक कार्यालय अशोकनगर में निम्न शर्तों के अधीन की जाकर पदस्थ किया जाता है :-

1. नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
2. इस नियुक्ति के पश्चात किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस/वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। यदि संबंधित अभ्यर्थी बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस के की तरह वसूल की जा सकेगी।
3. म.प्र. शारन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-९-३/२००३/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेशन योजना लागू होगी। पेशन नियम 1976 लागू नहीं होगे एवं म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होगें।
4. नव नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।
5. अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
7. नव नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता वॉक-इन-इंटरव्यू में मेरिट के आधार पर दर्शाई गई प्रार्थी सूची अनुसार होगी।

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

क्रमांक:2

11211

पृष्ठांकन क्रमांक ३५८/स्था.सेवा/2014

भोपाल, दिनांक २२ अगस्त, 2014

प्रतिलिपि:-

- 1— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 2— महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 3— कलेक्टर अशोकनगर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 4— उप महानीरीक्षक पंजीयन ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 5— जिला पंजीयक अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नव नियुक्त कर्मचारी के उपस्थित होने पर उनसे नीचे लिखे अनुसार कार्यवाही अविलंब पूर्ण करा ली जावे—
 - (क) निर्धारित प्रारूप में अनुप्रमाणन फार्म की प्रति संलग्न है इसकी संबंधित से पूर्ति कराई जाये अनुप्रमाणन फार्म के साथ इस आशय का नोटरी द्वारा तस्वीक शपथ पत्र भी प्राप्त किया जाये कि नव नियुक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण किसी थाने/न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 में यथा विर्निष्ट कोई अनर्हता नहीं प्रतिक्रिया। उक्त आशय का शपथ पत्र अनुप्रमाणन फार्म के साथ संलग्न किया जाये। इसकी संबंधित अभ्यर्थी से पूर्ति कराई जाकर चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजा जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी नियुक्त कर्मचारी का चरित्र शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो संबंधित की नियुक्ति निरस्त करने हेतु तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
 - (ख) अचल एवं चल संपत्ति और रिश्तेदारों के संबंध में डिक्लेरेशन फार्म भराया जाकर सेवा पुस्तिका में चर्पा करें।
 - (ग) निर्धारित फार्म पर शपथ ग्रहण कराके सेवा पुस्तिका में चर्पा की जाये।
 - (घ) नियमानुसार सक्षम अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे।
- 6— जिला कोषालय अधिकारी अशोकनगर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 7— जिला पेंशन अधिकारी अशोकनगर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 8— गोपनीय शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 9— श्री भूपेन्द्र भण्डारी, भण्डारी फोटो कापी सेन्टर नया बस स्टेण्ड, दु-81, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश पिन-472001, की ओर पालनार्थ।

महानीरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश